न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 79/2013

वादी :-

1. मूलदास पुत्र ढ्गलदास
जाति-साद, निवासी-हुनावासकलां
तहसील-जैतारण,जिला-पाली

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. सरदार पुत्र लाबू
2. गीता पत्नि तेजा
3. लक्ष्मण पुत्र तेजा
4. श्रवण पुत्र तेजा
5. हीरा पुत्र तेजा
6. सुशीला पुत्री तेजा
7. संगीता पुत्री तेजा
   प्रतिवादी सं. 4 से 7 तक
   सभी नाबालिग जरिये कुदरती
   वलिया माता गीता पत्नि तेजा
8. काना पुत्र घेवर
9. चेना पुत्र घेवर
10. रामा पुत्र खींया
    पूना पुत्र खींया नाऔलाद फौत
    के का0 मु0 :- रामा पुत्र खींया
11. हापू पुत्र भूरा
12. भैरा पुत्र नैना फौत के
    कायम मुकाम :-
    12/1 लाछाई बेवा भैरा
13. चन्दाराम पुत्र भैरा
    नाबालिग जरिये कुदरती
    वलिया माता लांछाई बेवा भैरा
14. बचना पुत्र नैना फौत
    के कायम मुकाम :-
    14/1 हिमता पुत्र नैना
15. लाधू पुत्र नैना नाऔलाद फौत
    के कायम मुकाम :-
    15/1 लालू पुत्र नैना
    समस्त जातियान-जाट,
    निवासीगण-हुनावासकलां
    तह-जैतारण, जिला-पाली (राज.)
16. तहसीलदार, जैतारण
    तह.-जैतारण,जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू.26.02.2013

उपस्थितः- 1. श्री महेन्द्र प्रजापत, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 21/05/2015

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि राजस्व मौजा-हुनावास कलां, पटवार हल्का-गरनिया, तहसील-जैतारण में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 15 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 61 रकबा 11-19 बीघा किस्म चाही सोयम की आराजी आई हुई है। जिसमें वादी का 5/8=1/15वां हिस्सा का खातेदार काश्तकार है तथा शेष हिस्सा रेकर्ड में वर्णित अनुसार प्रतिवादीगण का आता है तथा सभी पक्षकार अपने-अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। नकल प्रमाणित जमाबन्दी सम्वत् 2069 से 2072 की तथा नक्शा ट्रेस साक्ष्य संलग्न है, जिसे वाद-पत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें। वादी व प्रतिवादीगण एक ही गांव के रहने वाले है तथा वादी ने उक्त आराजी खातेदार प्रति संख्या 15/1 लालू पुत्र नैना कौम-जाट से जरिये रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 19/11/2003 को खरीद की थी। तब से वादी का उक्त आराजी पर शांतिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा हैं। वादी ने अपनी उक्त आराजी के चारदीवारी निकाल रही हैं। नकल बेचान रजिस्ट्री व म्यूटेशन नं0 232 की संलग्न है। उक्त आराजी के खातेदार पूना पुत्र खींया 1/3 फौत हो चुका (नाऔलाद) हैं। इसके का0मु0 रामा पुत्र खींया ही हैं, जिसे वाद-पत्र में प्रति संख्या 10 बनाया गया हैं। पूना के हिस्से की जमीन पर वर्तमान में रामा पुत्र खींया ही काबिज हैं। इसी प्रकार खातेदार भेरा पुत्र नैना 1/15 फौत हो चुका हैं। जिसके विधिक वारिसान प्रति संख्या 12 व 13 हैं तथा खातेदार बचना पुत्र नैना 1/15 नाऔलाद फौत हो जाने से इसके विधिक का0मु0 हिमता पुत्र नैना का वाद-पत्र में प्रति संख्या 14 के रूप में पक्षकार बनाया हैं तथा खातेदार नाथू पुत्र नैना 1/15 नाऔलाद फौत हो जाने से इसके का0मु0 लालू पुत्र नैना जाट की वाद-पत्र में प्रति0 संख्या 15 के रूप में पक्षकार बनाया गया हैं। वर्तमान राजस्व रेकर्ड में उक्त कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण की शामलाती दर्ज हैं, जिसका कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा नहीं हो रखा हैं। परन्तु मौके पर पक्षकारान् के बीच आपसी रजाबन्दी से बंटवाड़ा हो रखा हैं तथा खेतों के बीच माठे कायम हैं। सभी खातेदार अपने-अपने हिस्से के खेतों में काबिज होकर काश्त करते आरहे हैं। उक्त कृषि भूमि शामलाती होने से वादी अपनी कृषि भूमि पर बैंक से ऋण नहीं ले सकता हैं तथा अनेक प्रकार की समस्याओं का वादी को सामना करना पड़ता हैं। इस कारण से वादी ने उक्त आराजी के बंटवाड़ा बाबत् प्रतिवादीगण को कई बार निवेदन किया तथा कहा कि हमसब एक ही गांव के रहने वाले हैं तथा एक दूसरे के पड़ौसी हैं। इसलिए आपस में प्रेमभाव बने रहे। परन्तु वादी को दिनांक 01/02/2013 को प्रतिवादीगण ने बंटवाड़ा कराने से स्पष्ट इंन्कार कर दिया तथा सभी प्रतिवादीगण ने धमकियाँ दी कि हम सब एक ही जाति हैं तथा हम अलग जाति के हो। इसलिए हम अपनी मनमर्जी से बंटवाड़ा नहीं होने देंगे तथा मौका देखकर हमकों उक्त आराजी से बेदखल कर देंगे या किसी अजनबी क्रेता को बिना बंटवाड़ा करवाये। उक्त आराजी का बेचान करवा देंगे। इस प्रकार वादी अकेला ही हैं तथा शेष सभी खातेदार जाट जाति के हैं। इसलिए वादी की जमीन का बंटवाड़ा नहीं होने देते हैं। वादी व प्रतिवादीगण के बीच मौके पर रजामन्दी से बंटवाड़ा हो रखा हैं तथा अपने-अपने खेतों के बीच माठे व चारदीवारी व कुए कायम हैं। लेकिन कानूनन बंटवाड़ा नहीं हो रखा हैं। इसलिए वादी अपनी कृषि भूमि में खाद डालकर उसे उपजाऊ नहीं बना पा रहा हैं तथा न ही बैंक से ऋण इत्यादि ले पा रहा हैं। वादी को हरदृष्टिकोण से समस्या का सामना करना पड़ रहा हैं तथा सभी शेष खातेदार एक ही जाति के होने से वादी के साथ विभिन्न प्रकार से लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। ऐसी स्थिति में वादी को कानूनन बंटवाड़ा करवाना

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

आवश्यक हो गया हैं। इसलिए वादी ने अपने हिस्से की आराजी का माफिक मौका स्थिति व रेकर्ड के अनुसार उक्त आराजी का कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किया जाना आवश्यक हैं, इस कारण से वादी ने बंटवाड़ा का वाद-पत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया हैं। वाद-पत्र में प्रतिवादी संख्या 16 तहसीलदार, जैतारण हैं जो भूमिधारी राजस्थान सरकार हैं तथा राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि होने के कारण बंटवाड़ा के वाद में आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया हैं। जबकि कानूनन इनके विरूद्ध वाद-पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80(2) सीपीसी का नोटिस 2 माह का दिया जाना आवश्यक होता हैं। लेकिन वाद-पत्र आवश्यक प्रकृति का होने से तथा नोटिस देने में समय लगेगा। तब तक वाद-पत्र पेश करने का मकसद ही खत्म हो जायेगा। इसलिए नोटिस दिये बिना ही वाद-पत्र पेश करने की अनुमति लेकर पेश किया जा रहा हैं। अनुमति बाबत् अलग से धारा 80(20) सीपीसी का प्रार्थना पत्र वाद-पत्र के साथ पेश किया जा रहा हैं। बिनायवाद दिनांक 07/02/2009 को जब वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त कृषि भूमि का बंटवाड़ा करने को कहा तो प्रतिवादीगण ने स्पष्ट ईन्कार कर दिया तथा किसी अजनबी क्रेता को बेचान करने व सभी एक ही जाति के होने से अपनी मनमर्जी से बंटवाड़ा नहीं करवाने की धमकिया देने पर बमुकाम-हुनावास कलां में वाद कारण पैदा हुआ हैं। जो श्रीमान् के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में हैं तथा अन्दर म्याद वाद-पत्र पेश किया हैं।

इस प्रकार माफिक दावा वादी ने वाद डिक्री किया जाकर वादी की भूमि का पक्षकारानों में बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया।

पत्रावली पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-गरनिया में पेश हुई। राजस्व मौजा-हुनावास कलां, पटवार हल्का-गरनिया, तहसील-जैतारण में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 15 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 61 रकबा 11-19 बीघा किस्म चाही सोयम भूमि स्थित हैं। जिसमें वादी तथा प्रतिवादीगण का माफिक राजस्व रिकॉर्ड हिस्सा आता हैं। इसी अनुसार मौके पर काबिज हैं तथा इसी अनुसार बंटवाड़ा कराने पर सहमत हैं। इसी अनुसार मौके पर पत्थरगढ़ी नापचौप कर करावें। नजरी नक्शा व राजीनामा को निर्णय का एक आवश्यक भाग माना जावें। तहसीलदार, जैतारण ने बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव मय रूबरू उभय पक्षों व मौतबिरानों के तैयार करवाकर पर्द मौका मय नजरी नक्शा आज दिनांक 21/05/2015 को ही पेश किया, सामिल मिसल किया गया। उभय पक्षकारानों मय वकुलाय को सुना गया। वस्तुतः माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाना तथा पक्षकारों में विवादित आराजी की भूमि का बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अजर की सादिर की जाती है कि राजस्व मौजा-हुनावास कलां, पटवार हल्का-गरनिया, तहसील-जैतारण में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 15 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 61 रकबा 11-19 बीघा किस्म चाही सोयम का निम्नांकित रूप से बंटवाड़ा किया जाता हैं :-

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	मूलदास पुत्र बगलदास कौम-साद सा0 देह खातेदार।	61/1	0-10-00	चा0सो0	0.64 रू0
2	सरदार पुत्र लाबू, गीता पत्नि तेजा, लक्ष्मण श्रवण हीरा सुशिला संगीता पि0 तेजा ना0बा0 श्रवण हीरा संगीता की वलिया माता गीता पत्नि तेजा, काना चैना पि0 घेवर, रामा पूना पि0 खीया 79/229 हि0, हापू वल्द भूरा 80/229 हि0, भेरा पुत्र नेना 16/229, बचना पुत्र नेना 16/229 हि0, हिमता पुत्र नेना 16/229 हि0, नाथू पुत्र नेना 16/229 हि0, लालू पुत्र नेना 6/229 कौम-जाट सा0 देह खातेदार। रहन- बचनाराम पुत्र नेनाराम का हि0 एसबीबीजे शाखा-जैतारण व हापू पुत्र भूरा का हिस्सा एमजीबीजीबी शाखा-जैतारण।	61	11-09-00	चा0सो0	14.54 रू0

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनांक 21/05/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र शिविरि-गरनिया पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकाम:- जैतारण

बईजलास :- श्री घनश्याम शर्मा, आर०ए०एस०

वादी :- बनाम प्रतिवादीगण :-

1. मूलदास पुत्र कमलदास
जाति-साद, निवासी-हुनावासकलां
तहसील-जैतारण,जिला-पाली

1. सरदार पुत्र लाधू
2. गीता पत्नि तेजा
3. लक्ष्मण पुत्र तेजा
4. श्रवण पुत्र तेजा
5. हीरा पुत्र तेजा
6. सुशीला पुत्री तेजा
7. संगीता पुत्री तेजा
   प्रतिवादी सं. 4 से 7 तक
   सभी नाबालिग जरिये कुदरती
   वलिया माता गीता पत्नि तेजा
8. काना पुत्र घेवर
9. चेना पुत्र घेवर
10. रामा पुत्र खींया
   पूना पुत्र खींया नाऔलाद फौत
   के का० मु० :- रामा पुत्र खींया
11. हापू पुत्र भूरा
12. भैरा पुत्र नैना फौत के
   कायम मुकाम :-
   12/1 लाछाई बेवा भैरा
13. चन्द्राराम पुत्र भैरा
   नाबालिग जरिये कुदरती
   वलिया माता लाछाई बेवा भैरा
14. बचना पुत्र नैना फौत
   के कायम मुकाम :-
   14/1 हिमता पुत्र नैना
15. नाथू पुत्र नैना नाऔलाद फौत
   के कायम मुकाम :-
   15/1 लालू पुत्र नैना
   समस्त जातियान-जाट,
   निवासीगण-हुनावासकलां
   तह-जैतारण, जिला-पाली (राज.)
16. तहसीलदार, जैतारण
   तह.-जैतारण,जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा अन्तर्गत
धारा 53 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम, 1955

मु०न० रा०वा० सं०79/2013

यह मुकदमा आज वास्ते ईन्फिसाल कतई रूबरू ....-........ व हाजरी श्री महेन्द्र प्रजापत, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्दई व श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि मांफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय मजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि राजस्व मौजा–हुनावास कलां, पटवार हल्का–गरनिया, तहसील–जैतारण में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 15 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 61 रकबा 11–19 बीघा किस्म चाही सोयम का निम्नांकित रूप से बंटवाड़ा किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	मूलदास पुत्र ढगलदास कौम–साद सा0 देह खातेदार।	61/1	0-10-00	चा0सो0	0.64 रू0
2	सरदार पुत्र लाबू, गीता पत्नि तेजा, लक्ष्मण श्रवण हीरा सुशिला संगीता पि0 तेजा ना0बा0 श्रवण हीरा संगीता की वलिया माता गीता पत्नि तेजा, काना चैना पि0 घेवर, रामा पूना पि0 खींया 79/229 हि0, हापू वल्द भूरा 80/229 हि0, भेरा पुत्र नेना 16/229, बचना पुत्र नेना 16/229 हि0, हिमता पुत्र नेना 16/229 हि0, नाथू पुत्र नेना 16/229 हि0, लालू पुत्र नेना 6/229 कौम–जाट सा0 देह खातेदार। रहन– बचनाराम पुत्र नेनाराम का हि0 एसबीबीजे शाखा–जैतारण व हापू पुत्र भूरा का हिस्सा एमजीबीजीबी शाखा–जैतारण।	61	11-09-00	चा0सो0	14.54 रू0

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत.....–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–.....को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 21/05/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–बिरोल पर जारी किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

मोहर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	01	00	स्टाम्प वकालतनामा	01	00
स्टाम्प वकालतनामा	01	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	01	00	महनताना वकील		
महनताना वकील	-		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	04	00	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर	-	-	बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः–	07	00	मिजानः–	01	00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे किसी से दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner